तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में हुए
31/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में ज्ञात है कि वादीगण द्वारा पुराने कब्जे काश्त के आधार पर ग्राम दानवरली पटवार हल्का काकराडी में स्थित भूमि खसरा नं. 245 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मगरी की, घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई है। इस संबंध में वादग्रस्त भूमि पर 20 वर्ष के कब्जा के साक्ष्य के तौर पर संवत 2063, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, के वर्षों के धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिसेज की प्रतियां तथा राजकीय सिवायचक भूमि पर बतौर अतिक्रमी वादीगण का कब्जा होने के संबंध में विधिमान्य आधिकृत दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील संवत 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 के वर्षों की प्रतियां पेश की गई। तथा इन प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों को गवाह PW-1 के द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा भूमि राजकीय सिवायचक होने तथा वादीगण बतौर अतिक्रमी ही कुछ वर्षों में वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहने से वादीगण का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि पर 6-7 वर्ष ही कब्जा काश्त रहा है। इससे अधिक वर्षों पर वादीगण का कब्जा काश्त साबित नहीं है। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया है जिससे भी वादीगण राजकीय सिवायचक भूमि की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी नहीं रहते है। लिहाजा वादीगण द्वारा ग्राम दानवरली में स्थित भूमि खसरा नं. 245 रकबा 1.00 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा U/S 88, 188 RTA 1955	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। SDO उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
इजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

वादी :–

चुना, हरा, पेमा, चतरा पुत्रगण बाबुजी
जातिगण गरासिया निवासीगण दानवरली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 41/2019 Gcms No. 2019/00256

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादी द्वारा जिस भूमि ग्राम दानवरली के खसरा नंबर 245 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किये जाने की मांग की जा रही है, वह भूमि राजकीय सिवायचक है। वादी ने वर्णित भूमि की खातेदारी 6–7 वर्ष के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर चाही है, जो प्रतिकूल कब्जा वादी का बेरोक–टोक साबित नहीं है, इसके साथ ही माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अतिक्रमियो को खातेदारी देने से प्रतिबंधित किया है। लिहाजा वादी द्वारा ग्राम दानवरली के खसरा नंबर 245 रकबा 1.00 हैक्टर की खातेदारी घोषणा व सार्वकालिक निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31-03-23 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner